



छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय

पर्यावास भवन सेक्टर-19 , नवा रायपुर अटल नगर, जिला- रायपुर (छ.ग.)

स्ववित्तीय आधार पर लाटरी के माध्यम से आवासीय भवन क्रय करने हेतु नियम/ शर्तें

1. LIG भवनो के पंजीयन हेतु आवेदन शुल्क रू. 300/-, EWS भवन हेतु रू. 200, JR. MIG व SR. MIG भवन हेतु रू. 1000/- एवं HIG भवन हेतु रू. 1200/- निर्धारित है, जिसे ऑनलाईन आवेदन के समय पंजीयन/धरोहर राशी के साथ ऑनलाईन भुगतान करेंगे।
2. नियमानुसार LIG भवन हेतु रू. 50000/-, EWS भवन हेतु रू. 25000/- व अन्य (MIG व HIG) भवनों हेतु घोषित मूल्य की 10% राशि (पंजीयन/धरोहर राशी) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ (NEFT/RTGS /NET BANKING/DEBIT CARD/CREDIT CARD) के माध्यम से जमा किया जावेगा। पंजीयन राशी प्राप्त होने पर ही आवेदन/ पंजीयन स्वीकार किया जावेगा, नियत समयावधि में सम्पूर्ण पंजीयन राशि प्राप्त नही होने की स्थिति में पंजीयन स्वीकार्य नही होगा।
3. प्रथम 3 विज्ञापन में भवनों का आबंटन मंडल की आवासीय योजनों के लिए आरक्षण नियमों के अनुसार होगा। जिसमें (1) अनुसूचित जनजाति 4% (2) अनुसूचित जाति 6% (3) पिछड़ा वर्ग 6% (4) मंडल कर्मचारियों के लिए 1% (5) स्वतन्त्र संग्राम सेनानियों के लिए 1% (6) सैनिको एवं भूतपूर्व सैनिको के लिए 2% (7) शारीरिक विकलांगो के लिए 3% (8) निराश्रित एवं विधवा महिला अंश 2% (9) पत्रकार आर. अंश 2% (10) शासकीय कर्मचारी (रायपुर हेतु) आर. अंश 5% (11) शासकीय कर्मचारी अन्य नगर हेतु आर. अंश 3% (12) तृतीय लिंग समुदाय /एच.आई.वी. संक्रमित 2% । उपरोक्तानुसार आरक्षण में किसी सवर्ग में रिक्त प्रतिशत के हितग्राही उपलब्ध नही होने की स्थिति में उसकी पूर्ति अनारक्षित वर्गों से की जावेगी। आरक्षित वर्ग में आवेदन करने हेतु प्रमाण पत्र आवश्यक होगा।
4. LIG भवन के लिए आवेदक की वार्षिक आय सीमा रु 6.00 लाख तक (रूपए छः लाख तक) (अधिकतम) एवं EWS के लिए वार्षिक आय सीमा रु 3.00 लाख (रूपए तीन लाख तक) (अधिकतम) पात्रता माप दंड है। LIG एवं EWS के हितग्राही को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है।
5. पंजीयन राशि भवन के मूल्य में समायोजित की जावेगी। पंजीयन स्वीकृत होने पश्चात यदि हितग्राही द्वारा जमा राशि वापस मांग की जाती है तो नियमानुसार निम्न कार्यवाही की जावेगी –
(अ) “स्ववित्तीय आधार पर लाटरी के माध्यम से आबंटित संपत्ति हेतु मण्डल को भुगतान की गई कुल राशि में से पंजीयन में 50% राशि कटौती की जाकर शेष राशि लौटायी जावेगी तथा जमा राशि पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा।
6. पंजीयन पश्चात् भवन क्रमांक का आबंटन लाटरी पद्धति से किया जावेगा। भवन रिक्त होने की स्थिति में मंडल परिपत्र अनुसार परिवर्तन शुल्क जमा कर भवन क्रमांक परिवर्तन किया जा सकता है। इस संबंध में अंतिम निर्णय मुख्यालय का होगा व कोई दावा मान्य नही होगा।
7. स्ववित्तीय आधार पर लाटरी पद्धति से आबंटित संपत्ति हेतु पंजीयन के पश्चात् प्रेषित भुगतान तालिका/आबंटन आदेश में अंकित किश्तें निर्धारित समय पर जमा करना होगा, अन्यथा निर्धारित समय पर किश्त प्राप्त न होने की दशा में नियमानुसार विलंबित अवधि का ब्याज देय होगा। यदि आबंटनी सम्पूर्ण भुगतान करने में अत्यधिक विलम्ब करता है एवं मंडल को ऐसा प्रतीत होता है की आबंटनी भवन क्रय करने के इच्छुक नही है अथवा सक्षम नही है तो मंडल द्वारा आबंटन निरस्त कर दिया जावेगा। निरस्तीकरण उपरांत नियमानुसार कटौती कर शेष राशि वापस की जावेगी।
8. स्ववित्तीय आधार पर आबंटित संपत्ति हेतु मण्डल द्वारा योजना कार्यदिश जारी होने के 05 वर्ष की अवधि में पूर्ण की जावेगी। योजना में विलम्ब की स्थिति में संपदा अधिकारी देय किश्तों का पुनः निर्धारण कर समय पर हितग्राहियों को सूचित करेंगे।

9. स्ववित्तीय आधार पर आबंटित संपत्ति हेतु आबंटी को भवन के मूल्य एवं गुणवत्ता पर या निर्माण संबंधी कोई आपत्ति हो जो सुधारी न जा सके, तो वे अपना आबंटन निरस्त करा कर मण्डल में जमा राशि नियमानुसार कटौती उपरांत बिना ब्याज के राशि वापस प्राप्त कर सकेगा।
10. भवन के डिजाईन तथा स्पेसिफिकेशन मंडल द्वारा ही तय ही किये जावेंगे, बुकलेट में दर्शाए गए स्पेसिफिकेशन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने के लिए मंडल स्वतंत्र है, इसमें व्यक्तिगत अथवा सामूहिक आवेदन पत्रों के आधार पर परिवर्तन नहीं किया जावेगा एवं न ही कोई दावा मान्य होगा।
11. योजना के अंतर्गत प्रस्तावित निर्मित/निर्माणाधीन/ भूखण्डों एवं भवनों का विक्रय विलेख पंजीयन कार्यालय के नियमों के तहत किया जावेगा। रजिस्ट्री का व्यय संबंधित हितग्राही को वहन करना होगा एवं फ्रीहोल्ड की कार्यवाही आबंटी स्वयं के व्यय से करेंगे। भवनों में - निर्माण हेतु योजना अंतर्गत संलग्न तालिका में जो राशि विभिन्न तिथियों पर भुगतान हेतु निर्धारित हैं, निर्धारित समय पर देना होगा। विलम्ब हेतु नियमानुसार ब्याज देय होगा।
12. कॉलोनी निर्मित होने के 18 माह के भीतर कॉलोनी स्थानीय निकाय को हस्तांतरित करने का प्रयास किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में समस्त हितग्राहियों, चाहें वे स्वतंत्र भवन या प्रकोष्ठ भवन के हितग्राही हो मिलकर फर्म एवं सोसायटी एक्ट के अंतर्गत सोसायटी के गठन पर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। पंजीकृत सोसायटी को रखरखाव मद में जमा राशि में से व्यय की गई राशि काटकर शेष - राशि मण्डल के नियमानुसार प्रदान किया जावेगा। मण्डल द्वारा 05 साल के पश्चात् किसी भी स्थिति में कॉलोनी रखरखाव का कार्य - नहीं किया जायेगा।
13. पत्र व्यवहार हेतु आवेदक अपना पता, फोन नं./ मोबाईल नं., ई-मेल आईडी स्पष्ट रूप से आवेदन फार्म में अंकित करें। अधूरे अथवा गलत पते के कारण अथवा डाक व्यवस्था के कारण सूचना नहीं मिलने पर मण्डल की जवाबदारी नहीं होगी।
14. उक्त योजना के हितग्राही, छ.ग. रेरा एवं छ.ग. गृह निर्माण मण्डल द्वारा समय-समय पर लागू किए गए नियम एवं शर्तों को मानने के बाध्य होंगे। योजना अवधि में केन्द्र या राज्य सरकार/शासन द्वारा कोई नया कर/ शुल्क अधिरोपित किया जाता है जो आबंटी पर देय है तो आबंटी पर भारित किया जावेगा, व आबंटी द्वारा भुगतान किया जावेगा।
15. आबंटन आदेश में अंकित किशतें निर्धारित समय पर जमा करना होगा, अन्यथा निर्धारित समय पर किशत प्राप्त न होने की दशा में नियमानुसार विलंबित अवधि का ब्याज देय होगा। किशतें समय पर जमा नहीं होने की स्थिति में मण्डल पंजीयन निरस्त करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।
16. भवन यदि कार्नर या बेटर लोकेशन पर स्थित है तो मंडल नियमानुसार कार्नर/ बेटर लोकेशन चार्ज पृथक से देय होगा। सिंगल भवन हेतु सिंगल भवन चार्ज पृथक से देय होगा।
17. भवन की संपूर्ण राशि जमा करने पर ही सेलडीड/लीजडीड निष्पादित करायी जावेगी तत्पश्चात पंजीकृत सेलडीड/लीजडीड की सत्याप्रति प्रस्तुत करने पर ही भवन का आधिपत्य सौंपा जायेगा।
18. भूखण्ड/भवन की सेलडीड/ लीजडीड निष्पादित होने के उपरांत, भवन का आधिपत्य प्राप्त न करने के उद्देश्य से यदि आबंटी पंजीकृत सेलडीड/ लीजडीड की सत्याप्रति प्रस्तुत नहीं करता है अथवा अनावश्यक विलम्ब करता है तो मण्डल द्वारा एकतरफा आधिपत्य आदेश जारी कर दिया जावेगा जो आबंटी को मान्य होगा।
19. आधिपत्य आदेश जारी होने की तिथि से 45 दिन के अंदर भवन का भौतिक आधिपत्य आबंटी को लेना अनिवार्य है। 45 दिन की समय सीमा समाप्त होने के पश्चात स्वमेव भौतिक आधिपत्य लिया हुआ माना जावेगा कि आबंटी द्वारा भवन का भौतिक आधिपत्य ले लिया गया है तथा देखरेख एवं रख रखाव की पूर्ण जवाबदारी आबंटी की होगी। मण्डल द्वारा 45 दिन की समय सीमा समाप्त होने के पश्चात भवनों का रखरखाव/ मरम्मत कार्य नहीं किया जावेगा। आबंटी यथा स्थिति में भवन रखने हेतु बाध्य होगा। इस अवधि के पश्चात पृथक से भौतिक आधिपत्य की आवश्यकता नहीं होगी।
20. भवन के विज्ञापित अनुमानित मूल्य में अग्रिम लीजरेंट, भूसंधारण शुल्क-, अन्य प्रभार जो आबंटन की तिथि में प्रभावशाली है, समाहित है।
21. हितग्राहियों को भवन आधिपत्य लेने के पश्चात स्वयं के व्यय से विद्युत कनेक्शन एवं नल कनेक्शन नगर पालिक निगम/ छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल से आवेदन कर निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त करना होगा।

22. किसी भी वैधानिक वित्तीय संस्थान/बैंक से गृह ऋण लेने हेतु आबंटी स्वतंत्र है। किन्तु आबंटी को गृह ऋण प्राप्त करने में सुविधा हो व भवन की राशी समय पर मंडल को प्राप्त हो सके इस उद्देश्य से आबंटी का मोबाइल नंबर वित्तीय संस्थानों/बैंक से साझा करने के लिए मंडल स्वतंत्र होगा व आबंटी को आपत्ति नहीं होगी।
23. ऐसे पंजीयनकर्ता जो शासन व वित्तीय संस्था में भवन क्रय करने हेतु ऋण प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें मण्डल द्वारा निर्धारित ऋण प्रमाण-पत्र मांग अनुसार प्रदाय किया जावेगा। किन्तु तालिका में निर्धारित राशि जमा करने की तिथियों को शिथिल नहीं किया जावेगा एवं तदनुसार निश्चित दिनांक को रकम जमा करने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
24. पंजीयन एव किशतों की निर्धारित तिथियों में अपरिहार्य कारणों से अवकाश होने की दशा में देय राशि अगले कार्य दिवस को स्वीकार की जावेगी।
25. स्ववित्तीय आधार पर आबंटित संपत्ति हेतु योजना अंतर्गत आबंटित भूखण्ड पर मण्डल द्वारा भवन निर्माण हेतु रु. 50/- के नान-ज्यूडिषियल स्टॉम्प पर भवन के आबंटन पश्चात् सहमति निर्धारित प्रारूप में आबंटी को देना होगा।
26. भवन आबंटन के उपरांत किसी भी अपरिहार्य कारणों से आबंटन रद्द करने हेतु मण्डल स्वतंत्र होगा।
27. भवनों का मूल्य अनुमानित है, भवन का निर्माण पूर्ण होने पर अंतिम मूल्य निर्धारण एवं अंतिम आबंटन आदेश अनुसार यदि शुरुवाती मूल्य और अंतिम मूल्य में अंतर आता है तो आवेदक द्वारा अंतर की राशी का भुगतान किया जाना होगा। मंडल द्वारा अनुमोदित अंतिम मूल्य निर्धारित सक्षम अधिकारी से स्वीकृति पश्चात् आबंटी को मान्य एवं बंधनकारी होगा आबंटी को भवन के मूल्य पर आपत्ति हो तो मंडल में जमा राशी नियमानुसार वापस प्राप्त कर सकेगा।
28. ऐसी योजना/ योजनाएं जिनमें पर्याप्त संख्या में पंजीयन प्राप्त नहीं होते अथवा भूमि विवाद या अन्य कारण से योजना/ योजनाएं ली जानी मण्डल हित में नहीं होगी, संपूर्ण योजना या योजना का कुछ भाग निरस्त करने हेतु मण्डल स्वतंत्र होगा तथा इस पर पंजीयनकर्ता का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। पंजीयनकर्ताओं को उनकी जमा राशि नियमानुसार ब्याज के साथ उनके द्वारा आवेदन पत्र में दिये गये बैंक खाते में स्थानांतरित कर या चेक द्वारा वापस की जावेगी।
29. इस योजना को लेकर यदि कोई भूमि अथवा न्यायालीन विवाद होता है तो योजना में विलंब हो सकता है जिस हेतु पंजीयनकर्ताओं को पृथक से कोई ब्याज अथवा हानि अथवा मुआवजा नहीं दिया जायेगा। ऐसे विवादों के कारण यदि आबंटन रद्द भी होता है तो पंजीयनकर्ताओं को किसी भी प्रकार से ब्याज/ हानि/ मुआवजा नहीं मिलेगा। इन शर्तों को पंजीयनकर्ताओं को मंजूर हैं, जानते हुए भवनों का आबंटन किया जाएगा अन्यथा की स्थिति में पंजीयनकर्ता स्वतः पंजीयन रद्द/वापस करने हेतु जिम्मेदार होंगे। इस हेतु पृथक से किसी भी प्रकार का पत्राचार नहीं किया जायेगा।
30. भूमि लीज पर रहेगी व मण्डल नियमानुसार निर्धारित लीजरेन्ट देय होगा।
31. संपत्ति हेतु नगर निगम/स्थानीय नगरीय निकाय द्वारा निर्धारित अन्य सभी कर भी पृथक से देय होंगे।
32. भवनो का रख-रखाव आबंटी को स्वयं करना होगा।
33. भवन का पूर्ण मूल्य आबंटन आदेश में अंकित किशतों का भुगतान हितग्राही को करना होगा। भवन का आधिपत्य भवन निर्माण पूर्ण होने पर दिया जावेगा अथवा आबंटन दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष की अवधि में दिया जावेगा।
34. आबंटित भवन की सम्पूर्ण राशी भुगतान पश्चात् लीज एग्रीमेंट के अभिलेखों का पंजीयन रजिस्ट्रार पंजीयन अधिकारी कार्यालय में कराया जावेगा जिसका भुगतान आबंटी को करना होगा, तत्पश्चात् भवन का आधिपत्य प्रदान किया जायेगा।
35. मण्डल द्वारा कॉलोनी का रखरखाव यथा जलप्रदाय, सीवर लाईन, रोड़ नाली की साफ सफाई एवं स्ट्रीट लाईट आदि संपदा अधिकारी द्वारा प्रथम आधिपत्य आदेश जारी होने के तिथि से अधिकतम 05 वर्ष की अवधि तक किया जावेगा।
36. 03 वर्ष के भीतर समिति का गठन नहीं होने पर आबंटियों के मध्य से प्रथम 10 आबंटित सदस्यों को कॉलोनी वासियों की समिति का कार्यवाही सदस्य मानते हुए मण्डल के अधिकारी द्वारा पहल करते हुए, उक्त समिति का गठन कर निर्धारित प्रावधानों को पूर्ण कराया जावेगा।
37. समिति गठन होने के पूर्व जब तक कॉलोनी में मण्डल द्वारा जल प्रदाय एवं भू-संधारण/रख-रखाव किया जावेगा तब तक समस्त आबंटी मण्डल द्वारा निर्धारित जलकर एवं भू-संधारण शुल्क छ.ग. गृह निर्माण मण्डल को देने हेतु बाध्य रहेंगे। यदि आबंटी द्वारा लगातार तीन माह तक जलकर एवं भू-संधारण शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है तो नल कनेक्शन काटने हेतु मण्डल स्वतंत्र रहेगा। जलकर एवं भू-संधारण शुल्क में बढोतरी/संशोधन करने का पूर्ण अधिकार मण्डल के पास सुरक्षित रहेगा। संशोधित शुल्क समस्त आबंटियों को मान्य रहेगा।

38. भवन का उपयोग केवल आवासीय उपयोग हेतु किया जावेगा।
39. आबंटी आबंटित भू-खण्ड से अधिक क्षेत्रफल पर कब्जा नहीं करेगा अन्यथा उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
40. यदि आबंटित भूखंड से लगी अतिरिक्त भूमि उपलब्ध है तो आबंटी की मांग पर उस अतिरिक्त भूखंड की राशि भुगतान करने पर आबंटन की कार्यवाही की जावेगी। अतिरिक्त भूखंड आबंटन करने का सम्पूर्ण अधिकार मंडल के पास सुरक्षित होगा। यदि मंडल चाहे तो उक्त अतिरिक्त भूखंड किसी अन्य हितग्राही को भी आबंटित कर सकता है, मंडल का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
41. आबंटी, मण्डल व स्थानिय निकाय से अनापत्ति/अनुमति प्राप्त किये बगैर भवन में किसी भी प्रकार के निर्माण, परिवर्तन/परिवर्धन नहीं कर सकेगा। निर्माण के पूर्व आवेदन प्रस्तुत करने पर मण्डल द्वारा अनुमति/अनापत्ति दी जावेगी। तत्पश्चात ही निर्माण वैध माना जावेगा।
42. आबंटी द्वारा भवन/भू-खण्ड में अथवा कालोनी की भूमि पर मण्डल की अनापत्ति के बगैर बोर खनन नहीं किया जावेगा एवं ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जावेगा जिससे की सार्वजनिक हित के कार्य/सेवा में कमी होती हो/बाधित होती हो अथवा कमी होने की/बाधित होने की संभावना होती है। यदि ऐसा कोई भी कार्य आबंटी द्वारा किया जाता तो मण्डल उक्त कार्य को रोकने/बंद करने की कार्यवाही हेतु स्वतंत्र रहेगा।
43. (अ) आबंटी आधिपत्य पश्चात् आवासीय परिसर की समिति का सदस्य बनने के लिए सहमत होगा।
(ब) समिति गठन हेतु मण्डल के अधिकारी से समन्वय कर निर्मित भवनों में 51% व्यक्तियों द्वारा अधिपत्य प्राप्त होने के तिथि 03 वर्ष के भीतर समिति का गठन अनिवार्य होगा तथा 51% अधिपत्य पश्चात 05 वर्ष की अधिकतम समयावधि के लिए संधारण हेतु मण्डल उत्तरदायी होगा।
44. कॉलोनी बाह्य सेवा रख-रखाव एवं पार्किंग नीति/नियम आबंटी/निवासी पर बंधनकारी होंगे।
45. स्थानीय निकाय, राज्य शासन, केन्द्र शासन द्वारा यदि कोई अन्य शुल्क आदि प्रभारित किया जाता है तो वह भी पृथक से देय होंगे।
46. आबंटन/आधिपत्य संबंधी किसी प्रकार के विवाद बाबत आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर का निर्णय अंतिम एवं आबंटी को मान्य होगा।
47. हितग्राही अपने आवास में कम से कम दो पौधे अवश्य लगायें साथ ही सड़क या आवास के आस-पास लगाए गए पौधों की सुरक्षा का ध्यान आवश्यक रूप से देंगे।
48. इस आवेदन में आवेदक द्वारा दी गई जानकारी असत्य साबित होने पर मण्डल को अधिकार होगा कि आबंटन रद्द कर दें।
49. पंजीयन/आबंटन से संबंधित किसी भी विवाद के लिए आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, पर्यावास भवन, नया रायपुर एवं छ. ग. 0 रेरा का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
50. मण्डल में प्रचलित अन्य नियम भवन आधिपत्य के पश्चात् या पहले सभी हितग्राहियों को मान्य होंगे उनके अनुसार ही कार्यवाही की जावेगी।
51. अन्य जानकारी छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय के सूचना केन्द्र/संपदा अधिकारी, संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-कवर्धा एवं कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संभाग-कवर्धा कार्यालय से कार्य अवधि में प्राप्त की जा सकती हैं एवं मण्डल के वेबसाईट www.cgghb.gov.in में देखी जा सकती हैं।

संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल
संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-कवर्धा